

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही।

सिलिंग वाद संख्या 02/19-20

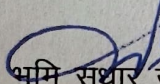
बासुदेव महतो -बनाम- पिताम्बर महतो वगै०

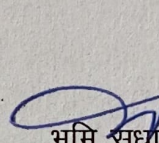
तारिख	:- आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-	अभियुक्ति
	आवेदकबासुदेव महतो पिता स्व० चितो महतो, साकिन मासीपीडी, थाना बरकट्टा, जिला-हजारीबाग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन समर्पित किया गया है कि सेगली देवी एवं दामोदर महतो द्वारा विक्रय पत्र सं०-2936 दिनांक 20.11.2018 द्वारा मौजा-मासीपीडी, थाना नं०-103, खाता नं०-34, प्लॉट नं०-1329, कुल रकबा-0.08 ए० भूमि पिताम्बर महतो वगै० को विक्री कर दिए, जबकि पिताम्बर महतो वगै० तो सह रैयत है न ही संलग्न रैयत। जबकि आवेदक बासुदेव महतोप्रश्नगत भूमि के सह रैयत हैं तथा वे भूमि खरीदने को तैयार थे। आवेदक द्वारा सिलिंग एक्ट की धारा 16(3)(i) के तहत वाद दायर करने हेतु विक्रय पत्र के अनुसार विक्रय पत्र की राशि 40000 तथा अतिरिक्त राशि 10%-4000, कुल-44000 (चवालिस हजार) रुपये ई-चलान के माध्यम से भू-राजस्व शीर्ष-002900800010101 के अन्तर्गत सरकारी कोषागार में जमाकिया गया एवं आवेदक द्वारा सिलिंग एक्ट के तहत वाद को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। चलान की प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदक एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता को सुना। पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, बरकट्टा से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने-अपने पक्ष में तर्क दिये गये है। प्रथम पक्ष द्वारा कागजात तथा लिखित जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होंने उल्लेखित किया है कि केवाला सं०-2936, दिनांक 20.11.2018 द्वारा सेगली देवी एवं दामोदर महतो, ग्राम मासीपीडी, थाना बरकट्टा, जिला हजारीबाग अन्तर्गत खाता सं० 34, प्लॉट सं० 1329, रकबा 0.20 ए० मध्ये रकबा 0.08 ए० भूमि पिताम्बर महतो एवं राजकुमार महतो साकिन मासपीडी को मो०-40000 (चालीस हजार) रुपये में केवाला द्वारा बेचा गया है। प्रथम पक्ष का यह भी कहना है कि पिताम्बर महतो एवं राजकुमार महतो न ही सह रैयत है और न ही संलग्न रैयत, जबकि बासुदेव महतो नजदीकी रैयत है तथा प्रश्नगत भूमि खरीदने को तैयार है। प्रथम पक्ष का यह भी कहना है कि पश्चिम में बुलक महतो की चाहरदीवारी है, जो आवेदक के भाई है तथा उक्त भूमि कृषि भूमि है इसलिए यह भूमि उन्हें मिलना चाहिए था। द्वितीय पक्ष द्वारा भी लिखित जवाब एवं कागजात दाखिल किया गया जिसमें उल्लेखित किया गया कि अंचल द्वारा दिया गया जांच प्रतिवेदन गलत है। प्रश्नगत भूमि मौजा मासीपीडी, थाना सं०-103 अन्तर्गत खाता सं०-34, प्लॉट सं० 1329, रकबा 0.08 ए० भूमि वर्तमान चौहदी उ०-दुखन महतो, द०-घनश्याम महतो, पू०-विक्रेता सेगली देवी एवं प०-बुलक महतो का दखल कब्जा है। द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि आवेदक बासुदेव महतो तीन माह बाद विक्रय पत्र सं०-678, दिनांक 19.03.2019 द्वारा खाता सं०-34, प्लॉट सं०1329, रकबा 0.06 ए०, जिसका हाल चौहदी उ०-दुखन महतो, द०-तुलो महतो, पू०-संगीता देवी एवं प०-सेवल देवी की खरीद की गयी है। द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर सिलिंग वाद चाहते तो हम ला सकते थे, हमारा दावा बनता था। कागजात के रूप में केवाला की प्रति संलग्न है तथा बहस के दौरान द्वितीय पक्ष तथा उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। इस कार्यालय के पत्रांक 157, दिनांक 19.07.2019, पत्रांक 205, दिनांक 10.04.2021 एवं पत्रांक 350, दिनांक 09.10.2021 द्वारा प्रश्नगत भूमि के जांच प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी, बरकट्टा से की गयी, जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, बरकट्टा के पत्रांक 111, दिनांक 04.03.2022 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें	

प्रतिवेदित किया गया है कि बरकट्टा अंचल अन्तर्गत मौजा-मासीपीढ़ी, थाना नं०-103, खाता नं०-34, प्लॉट नं०-1329, कुल रकबा-0.08ए० भूमि का वर्तमान चौहदी उ०-संगीता देवी, द०-घनश्याम महतो, पू०-बासुदेव महतो एवं प०-बुलक महतो है। वर्तमान में उक्त भूमि परती के रूप है।

अंचल अधिकारी, बरकट्टा के जांच प्रतिवेदन, उभय पक्षों के लिखित जवाब तथा समर्पित कागजात के अवलोकन से एवं द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि आवेदक के भाई बुलक महतो प्रश्नगत भूमि का सह रैयत हैं न की आवेदक बासुदेव महतो। बासुदेव महतो द्वारा खरीद की गयी भूमि जिसका केवाला सं० 678, दिनांक 19.03.2019 है, जबकि प्रश्नगत भूमि की खरीदगी, जिसका केवाला सं० 2936, दिनांक 20.11.2018 जो तीन माह पहले की खरीदगी भूमि है। दोनों के विक्री-विलेख में आवासीय भूमि के रूप में वर्णित है, जिसकी सत्यता चौहदी में दिखाये गये मकान एवं चाहरदीवारी से साबित होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि भूमि का वर्तमान स्वरूप आवासीय है और इस पर बिहार अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अतिरेक भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1961 का उपबंध 16 (III) के प्रावधान लागू नहीं किये जा सकते। अतः इस वाद में आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बरही, हजारीबाग।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बरही, हजारीबाग।